बिहार सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

<u>संकल्प</u>

बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के हर स्तर पर जन साधारण को चिकित्सा सुविधा सुलभ करने के क्रम में अति0प्रा0स्वा0केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण सरकारी राशि से करने के अतिरिक्त एक नई व्यवस्था कायम की गई है ।

इस नई व्यवस्था के तहत भवनहीन स्वीकृत अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्रों अथवा उपकेन्द्रों के भवन का निर्माण इच्छुक व्यक्तियों, सांसद / विधायक निधि से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि चाहें तो वे निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत अपनी जमीन पर अपने खर्च पर नये भवन का निर्माण करेंगे तथा जमीन सहित पूरा भवन बिहार के राज्यपाल के पदनाम से यदि रजिस्ट्री करते हैं अथवा पूर्व चालित भवनहीन अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्रों / उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण करायेंगे तो उसका नामकरण निर्माणकर्त्ता के अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर किया जायेगा ।

सांसद / विधायक के लिए केवल यह निर्णय लिया जाता है कि वे अपनी विकास निधि से वैसे स्थान पर जहाँ अति0प्रा0स्वा0केन्द्र / उपकेन्द्र मापदण्ड के अन्तर्गत कार्यरत नही है अथवा भवनहीन है तो वहाँ अगर सरकारी जमीन उपलब्ध है तो जिला समाहर्त्ता के आदेश से निर्धारित प्लान / प्राक्कलन एवं नक्शा के आधार पर भवन निर्माण करा सकते हैं । इस मामले में नामकरण की छूट नहीं दी जायेगी ।

उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के तहत निर्मित नये भवनों का रख–रखाव तथा संचालन की जिम्मेवारी बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग की होगी ।

सभी जिला पदाधिकारी / सिविल सर्जन द्वारा अखबारों के माध्यम से अपने–अपने क्षेत्रों में विज्ञापन देकर सर्व साधारण के लिए इस आशय की सूचना प्रसारित किया जायेगा ।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Deepak 8/7
(दीपक कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–10 / यो0–1–08 / 2005 8 (10) स्वा0, पटना, दिनांक– 20.4.06

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–10 / यो0–1–08 / 2005 8 (10) स्वा0, पटना, दिनांक– 20.4.06

प्रतिलिपिः– आयुक्त एवं सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /सचिव, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना / निदेशक, भू–अर्जन एवं राजस्व विभाग बिहार, पटना / सचिव, विधि विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त/ सभी सिविल सर्जन एवं सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अति0प्रा0स्वा0केन्द्र/ उपकेन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वा0 सेवायें, बिहार, पटना/ स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव